यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खंड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खंड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश** के माह जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री दीपक मालवीय,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री लक्ष्मण सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अंकित पाण्डेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 13/01/2021 से 23/01/2021 तक श्री बी.सी. मुखर्जी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री दीपक मालवीय, श्री मनीष श्रीवास्तव,सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री सत्यवीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 29.01.2020 से 07.02.2020 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी जिसमें माह 01/2019 से माह 12/2019 तक के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी थी।

(i)इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार: खंड का कार्य क्षेत्र ऋषिकेश, डोईवाला एवं रायपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है जिसमें खण्ड द्वारा क्षेत्रान्तर्गत मार्गों एवं सेतुओं के रख-रखाव, नव-निर्माण एवं पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्य निष्पादित किए जाते हैं।

(ii) बजट

(अ) लेखा परीक्षा अवधि में योजनावार बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		मुख्य लेखाशीर्ष	स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य	बचत	टिप्पणी
	स्थापना	गैर स्थापना		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	--		
2018-19	-	1034.92	-	869.23	654.00	6269.32	6269.32	0.00	1250.15	-
2019-20	-	1250.15	-	788.47	788.47	8023.11	7372.98	0.00	1900.28	-
2020-21 (12/2020 तक)	-	1248.39	-	662.55	659.69	3819.44	3967.92	0.00	1102.77	

टिप्पणी: (i) *वर्षांत में निक्षेप मद के अतिरिक्त अन्य मदों में अवशेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जाती है।*

(ब) केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण

(` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अवशेष	
					आधिक्य	बचत
2018-19	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019 – 20	केंद्रीय सड़क निधि	0.00	679	0.00	0.00	679
2020 -21 (12/2020 तक)	केंद्रीय सड़क निधि	0.00	1129.50	196.78	0.00	932.72

टिप्पणी:(i) *वर्षांत में अवशेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जाती है।*

(iii)इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **"ए"** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, लोक निर्माण विभाग

↓

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

↓

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

↓

अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

↓

अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

(iv)लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खंड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खंड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा व्यय विवरण के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह **जून 2020** को विस्तृत जांच एवं लेखापरीक्षा अवधि में सर्वाधिक परिव्यय के आधार पर निर्माण कार्य **"रायपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत किरसाली चौक से कालागांव स्थल होते हुये रायपुर कुमाल्डा कद्दूखाल मोटर मार्ग के किमी 04 मालदेवता तक मोटर मार्ग का पक्कीकरण एवं तीन वर्ष तक रख-रखाव कार्य"** को विस्तृत विश्लेषण हेतु चयनित किया गया।

(v)लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा **13** लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2020 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में निरीक्षण किया गयाथा परंतु प्रतिवेदन अप्राप्त था।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः 09/2020 एवं 09/2019तक की गई।

5. फार्म 51: माह 03/2019 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम ` 20468532.00

भाग द्वितीय ` 70828.50

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 12/2020 के मासिक लेखा के अनुसार

(क)	प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम	` 51,70,594.00
(ख)	सामग्री क्रय	शून्य
(ग)	नगद परिशोधन	शून्य
(घ)	निक्षेप	` 7,85,44,016.00
(ङ)	भण्डार	` 1,07,89,958.00

भाग II "ब"

प्रस्तर 1 –अपूर्ण छोड़े गए कार्य के लिए अनुबन्ध शर्तों के अनुसार कार्यवाही न कर ठेकेदार को अनाधिकृत लाभ प्रदान किया जाना, `22.35 लाख।

कार्यालय अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण विभाग,ऋषिकेश, जनपद- देहरादून के उपरोक्त सड़क निर्माण कार्य से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि शासनादेश संख्या 6968/III(2)/13-38(प्रा. आ.)/2013दिनाँक 14.12.2013 के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 225/2012 के अंतर्गत जनपद देहरादून के विकास खण्ड-रायपुर में रायपुर से खैरी मानसिंह होते हुये लोहे के पुल तक बाईपास मार्ग के निर्माण कार्य हेतु `830.69 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उपरोक्त कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता स्तर-1, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग देहरादून के पत्रांक 163/11(19) याता.म.मु.घो. स्तर-I(क्षे.का.)/2014 दिनांक 17.02.2019 द्वारा धनराशि `830.69 लाख के लिए प्रदान की गयी थी।

उपरोक्त सड़क निर्माण कार्य से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उक्त कार्य के सम्पादन हेतु धनराशि **`82460758/-** का मै. लिन्क इंटरप्राइजेज़, रेलवे रोड, हरिद्वार के साथ एक अनुबंध संख्या 29/एस.ई.-9/14-15 दिनांक 20.12.2014 गठित किया गया जिसके अनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ की तिथि 20/12/2014 तथा कार्य समाप्ति की तिथि 19/06/2016 थी। खंड द्वारा उपलब्ध करवाए गए दिसंबर 2020 के प्रपत्र 64 के अनुसार उपरोक्त कार्य पर `830.69 लाख का व्यय भार दर्शाया गया है।कार्य के सम्पादन हेतु गठित अनुबन्ध संख्या 29/एस.ई.-9/14-15 के सुसंगत प्रावधानों: - GCC, Clause-56 and 58 read with PCC अनुसार यदि ठेकेदार द्वारा कार्य अवरुद्ध किया जाता है या the contractor has delayed the completion of the Works by the number of days for which the maximum amount of liquidated damages can be paid, तो ऐसे कृत्य को अनुबन्ध का मौलिक उल्लंघन (Fundamental breach of contract under Clause-56) मानते हुए अनुबंध निरस्त किया जाये और ठेकेदार से छोड़े गए कार्यों की लागत का 20 प्रतिशत वसूल किया जायेगा (Clause- 58)।

उक्त कार्य पूर्ण हेतु निर्धारित तिथि 19/06/2016 तक कार्य पूर्ण न होने के उपरांत ठेकेदार को 0.50% अर्थदण्ड के साथ 30 जून 2018 तक की समयवृद्धि प्रदान की गयी थी। खण्ड स्तर एवं नवम वृत्त स्तर से उक्त ठेकेदार को बार-बार कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था परंतु ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य को पूर्ण करने में कोई रुचि नहीं दिखायी गयी। नवम्बर 2018 को ली गयी माप के उपरान्त ठेकेदार द्वारा जनवरी 2020 तक मात्र `3.42 लाख का कार्य संपादित किया गया था। इसके बाबजूद भी ठेकेदार को मात्र 0.50% अर्थदण्ड के साथ 31 जनवरी 2020 तक की पुनः समयवृद्धि प्रदान की गयी थी। परंतु आतिथि तक ठेकेदार द्वारा न तो उक्त कार्य को पूर्ण किया गया था और न ही अनुबन्ध का अंतिमिकरण किया गया था।

आगे अभिलेखों के अवलोकन में यह भी पाया गया कि उक्त अनुबन्ध के सापेक्ष ठेकेदार Security Deposit के रूप में प्रस्तुत बैंक गारंटी की वैधता भी 26/12/2019 को समाप्त हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त उक्त कार्य हेतु बीमा संबन्धित अभिलेख भी पत्रावलियों में नहीं पाये गए। अनुबंध संख्या 29/एस.ई.-9/14-15 के सापेक्ष ठेकेदार मै. लिन्क इंटरप्राइजेज़, रेलवे रोड, हरिद्वार द्वारा अपना अन्तिम देयक भुगतान हेतु प्रेषित किया गया था जिसका भुगतान अभी लंबित था तथा अनुबन्ध का अंतिमिकरण नहीं किया गया था। आगे ठेकेदार द्वारा अपने पत्रांक LE/HRD/18-19/225 दिनांकित 23 जनवरी 2020 के माध्यम से अवगत करवाया गया कि कार्य स्थल के एक छोर पर पुलिया निर्माण कार्य के पास भूमि विवाद एवं खराब स्वास्थ्य के आधार पर अनुबन्ध का अंतिमिकरण कर दिया जाय।

उपरोक्त कार्य के सम्पादन हेतु गठित मूल अनुबन्ध 29/एस.ई.-9/14-15 के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत अंतिम देयक के अनुसार ठेकेदार द्वारा निम्न मदों में कार्य का पूर्ण सम्पादन नहीं किया गया था:

क्रमांक	मद का नाम	अनुबन्ध के अनुसार कार्य की मात्रा	ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य की मात्रा	अपूर्ण कार्य की मात्रा	अपूर्ण कार्य की लागत (धनराशि ` में)
1.	Excavation in soil	6928 Cum	6461.72	466.28	23314
2.	Construction of Embankment	31653	25334.86	6318.14	1895442
3.	Providing, laying …… to WBM (45-90mm size)	6816	5961.21	854.79	1282185
4.	Providing, laying …… to WBM (45-63mm size)	4792	4579.26	212.74	356340
5.	Construction of subgrade	2029	1140	889	266700
6.	Random Rubble Stone Masonry laid in 1:6….	8943	8103.33	839.67	2057192
7.	KC Type drain	3500	0	3500	2800000
8.	PCC	107	69.21	37.79	132265
9.	Stone masonry work	697.68	417.33	280.35	869085
10.	Plain/reinforced cement concrete in substructure	214	88.39	125.61	628050
11.	Supplying, fitting and placing HYSD bar	21038	7723.82	13314.18	865422
				योग =	11175995

आगे अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि उपरोक्त अनुबन्ध के अंतिमिकरण के बिना ही ठेकेदार द्वारा पूर्ण न किए गए कार्य के सम्पादन हेतु दो अनुबन्ध (अ) मै. दून एशोसिएट के साथ 90/EE/2020-21 दिनांक 07/02/20 तथा (ब) मै. हिमालयन कंस्ट्रक्शन के साथ 94/EE/2020-21 दिनांक 11/02/20 गठित किए गए थे। जिसमें से अनुबन्ध संख्या 94/EE/2020-21 के अधीन कार्य लेखापरीक्षा तिथि तक प्रगति पर था।

ठेकेदार द्वारा कार्य अधूरा छोड़े जाने की दशा में सुसंगत प्रावधानों के अनुसार अनुबन्ध का मौलिक उल्लंघन मानते हुए अनुबंध निरस्त कर ठेकेदार से छोड़े गए कार्यों की लागत का 20 प्रतिशत की वसूली की जानी चाहिए जो कि नहीं की गयी है। अपूर्ण छोड़े गए कार्य के लिए अनुबन्ध शर्तों के अनुसार कार्यवाही न कर ठेकेदार को `22.35 लाख का अनाधिकृत लाभ प्रदान किया गया। इसके साथ साथ उक्त कार्य के निर्धारित तिथि से 04 वर्ष से भी अधिक समय

व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अपूर्ण रहने से आमजन मानस को उक्त कार्य के सम्पादन से मिलने वाले लाभ से वंचित रहना पड़ा है।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर खंड द्वारा अपने उत्तर में बताया कि ठेकेदार द्वारा स्थल पर स्वीकृत समयवृद्धि अनुसार कार्य दिनांक 31.01.20 को पूर्ण किया जा चुका था तथा अनुबंध का अंतिमिकरण जनवरी 2020 में किया जा चुका था। कार्य के बीमा करवाए जाने हेतु तथा बैंक गारंटी की वैधता के संबंध में ठेकेदार को अवगत करवाया गया है। प्राविधिक स्वीकृति में प्रावधानित आकस्मिक व्यय एवं कार्य गुणवत्ता को छोड़कर अनुमोदित समस्त मदों के लिए ठेकेदार के साथ मूल अनुबंध गठित किया गया था। आगे बताया कि विवादित भूमि पर अवशेष कार्य हेतु अनुबंध गठित किए गए जो कि भूमि विवाद निस्तारण के पश्चात फरवरी में गठित किए गए।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा उपरोक्त मूल अनुबंध के अंतिमिकरण के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त ठेकेदार द्वारा भुगतान हेतु प्रस्तुत अंतिम देयक के अनुसार विभिन्न कार्यमदों के अंतर्गत `1.12 करोड़ का कार्य संपादित नहीं किया गया था। साथ ही यदि ठेकेदार द्वारा सम्पूर्ण कार्य संपादित कर लिया होता तो दो अनुबंध गठित किए जाने का कोई औचित्य नहीं था। ठेकेदार द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़े जाने के उपरांत भी खंड द्वारा अपूर्ण छोड़े गए कार्य के लिए अनुबन्ध शर्तों के अनुसार कार्यवाही न कर ठेकेदार को `22.35 लाख का अनाधिकृत लाभ प्रदान किया गया तथा कार्य का अंतिमिकरण भी नहीं किया गया था।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 (ब)</u>

<u>प्रस्तर 2- इकाई की उदासीनता के कारण अनुबंध की समयवृद्धि पूर्ण होने के 9 माह पश्चात भी अपेक्षित प्रगति न रहना।</u>

मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अंतर्गत राजेश्वरी नगर मे नर्सरी के पास दुलहनी नदी को जोड़ते हुए 30 मीटर स्पान के एक लेन के प्रीस्ट्रेस आरसीसी सेतु एवं 66 मीटर आरसीसी डक्ट के पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जून 2017 मे `257.86 लाख की प्रदान की गयी थी। कार्य की तकनीकी स्वीकृति दिसम्बर 2018 मे उक्त राशि हेतु ही प्राप्त हुई थी। कार्य निष्पादन हेतु एक अनुबंध संख्या 78/एसई-9/2018-19 दिनांक 08.03.19 को लागत `222.49 लाख का गठित किया गया था जिसके अंतर्गत कार्य दिनांक 07.03.20 पूर्ण किया जाना था।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, अस्थाई खंड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश मे उक्त निर्माण कार्य से संबन्धित अभिलेखो की जांच (जनवरी 2021) मे पाया गया कि तत्समय उक्त निर्माण कार्य हेतु ठेकेदार को `53.67 लाख का भुगतान किया जा चुका था एवं कार्य स्वीकृति के दो वर्षो के उपरांत कार्य की निर्धारित भौतिक प्रगति (सितम्बर 2019 तक 50 प्रतिशत, अक्टूबर 2019 तक 75 प्रतिशत) के सापेक्ष ठेकेदार द्वारा कार्य की मात्र 23 प्रतिशत भौतिक प्रगति ही प्राप्त की गयी थी। आगे कार्य निष्पादन से संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि सितम्बर 2020 मे अधीक्षण अभियंता द्वारा निर्देशित किए जाने के उपरांत एवं खंडीय स्तर से प्रकरण प्रेषित किए जाने के उपरांत भी ठेकेदार के विरुद्ध कोई अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया था एवं ठेकेदार द्वारा `12.46 लाख की प्रस्तुत बैंक गारंटी जिसकी वैधता दिनांक 01.03.20 को समाप्त हो गयी थी, को बढ़वाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी तथा ठेकेदार द्वारा कम दी गई स्टांप ड्यूटी `6130/- की वसूली लंबित रखी गयी थी।

उपरोक्त के संबंध मे इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर दिया गया कि कार्य स्थल पर अपेक्षित प्रगति बढ़ाने हेतु, बैंक गारंटी की वैधता बढ़ाने हेतु निरंतर नोटिस प्रेषित किए गए है एवं स्टांप ड्यूटी की कटौती ठेकेदार के अगले देयक से कर ली जायेगी एवं ठेकेदार को सक्षम अधिकारी स्तर से समयवृद्धि स्वीकृत की जा चुकी है। खंड के उत्तर से स्पष्ट था कि पूर्व मे ही ठेकेदार द्वारा कार्य मे विलंब का संज्ञान लिए जाने एवं बैंक गारंटी की वैधता समाप्त हो जाने के उपरांत भी न केवल ठेकेदार को दिसम्बर 2020 मे `12.46 लाख का भुगतान किया गया था।

अतः अनुबंध की समयवृद्धि पूर्ण होने के 9 माह पश्चात भी कार्य की अपेक्षित प्रगति न रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग II "ब"

प्रस्तर सं – 03: ठेकेदारों के देयकों से प्रयुक्त निर्माण सामग्री के सापेक्ष रॉयल्टी की धनराशि `17,10,923/- तथा ज़िला खनिज फाउंडेशन न्यास निधि के अंशदान `4,27,730/- की कटौती न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्यौगिक विकास अनुभाग-2 के पत्रांक संख्या 162/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 18.01.2013 तथा उत्तराखण्ड शासन, औद्यौगिक विकास अनुभाग-1 के पत्रांक संख्या 842/VII-1/2016/24-ख/2007 दिनांक 19.05.2016 के अनुसार निर्माण कार्यों में नदी तल अथवा भिन्न स्थानों से ली जाने वाली निर्माण सामग्री की स्वामित्व (रॉयल्टी) की कटौती करके नियमानुसार सम्बन्धित लेखा शीर्ष में जमा कराई जानी चाहिए। लोक निर्माण विभाग में प्रचलित प्रथा के अनुसार ठेकेदारों द्वारा बिलों के साथ निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों की मात्रा के सापेक्ष प्रपत्र "J" उपलब्ध करवाए जाते है जिनके आधार पर रॉयल्टी की छूट प्रदान की जाती है।

उत्तराखण्ड शासन, औद्यौगिक विकास अनुभाग-1 के पत्रांक संख्या 1763/VII-1/2017/8-ख/16 दिनांक 17.11.2017 तथा अधिसूचना संख्या 1621/VII-1/2017/8-ख/16 दिनांक 17.11.2017 के माध्मय से उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली 2017 प्रख्यापित की गयी थी। उक्त नियमावली 12 जनवरी 2015 को प्रवृत्त हुयी समझी जाएगी। न्यास के मुख्य उद्देश्य: (1) खनन संक्रियाओं या अन्य संबन्धित क्रियाकलापों एवं खनिज परिवहन से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के हित तथा उनकी प्रसुविधा के लिए कार्य करना; (2) प्रभावित व्यक्ति एवं क्षेत्रों की प्रसुविधा के लिए ज़िला खनिज फाउंडेशन में संग्रहीत निधियों का उपयोग करना; और (3) ग्राम सड़क, जलीय स्थान एवं अन्य सामान्य सुविधाओं को विकसित करने हेतु संबन्धित ग्राम पंचायत के परामर्श पर निधि का उपयोग करना, है। उक्त नियमावली के प्रस्तर 10 (न्यास निधि हेतु अंशदान) के अनुसार सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली मिट्टी पर भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी की धनराशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से तथा सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी पर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रॉयल्टी की धनराशि का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से जमा किया जाये।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश के चयनित माह (जून 2020) की रोकड़ बही एवं बिल/वाऊचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा निम्नांकित ठेकेदारों के बिलों से निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों के सापेक्ष रॉयल्टी की कटौतियाँ नहीं की गयी थी जबकि उपरोक्त के सम्बन्ध में ठेकेदारों द्वारा उक्त कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों के सापेक्ष कोई भी आवश्यक रॉयल्टी प्रपत्र (Form J or MM-11) उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। इसके साथ ही रॉयल्टी के अतिरिक्त न्यास निधि के अंशदान की अतिरिक्त 25% की कटौतियाँ कर न्यास निधि में जमा किए जाने की कार्यवाही भी नहीं की गयी थी।

(` में)

क्रमांक	वाउचर सं	ठेकेदार/फर्म का नाम	अनुबन्ध संख्या	कम काटी गयी रॉयल्टी	कम काटी गयी जिला न्यास

				की धनराशि	निधि के अंशदान की धनराशि
1.	29/जून 20	मै. गुरुकृपा कंस्ट्रक्शन	116/एई/2019-20	18216	4554
2.	30/ जून 20	मै. गुरुकृपा कंस्ट्रक्शन	115/एई/2019-20	18236	4559
3.	41/ जून 20	रघुवीर सिंह	124/ईई 2018-19	94638	23659
4.	47/जून 20	नरेंद्र सिंह रावत	136/ईई/2017-18	89590	22398
5.	81/जून 20	मै. दून इन्फ्रास्ट्रक्चर	60/एसई/2018-19	164768	41192
			योग =	**385448**	**96362**

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में झबरावाला -बुल्लावाला मोटर मार्ग पर बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य (अनुबंध संख्या 52/SE-9/2018-19, M/s Link Enterprises.) से संबन्धित ठेकेदार द्वारा प्रथम से अष्टम देयक तक 8038.23 **cum** उपयोग किए गए ग्रिट/पत्थर/RBM इत्यादि के सापेक्ष प्रस्तुत किए गए ई-फॉर्म, जो खण्ड द्वारा लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किया गया, उसकी जांच में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा जो ई-रवन्ना प्रस्तुत किया गया उसमे केवल 79.25 cum ई-रवन्ना ठेकेदार के नाम से है एवं शेष 585.06 cum ई-रवन्ना ठेकेदार के नाम से नहीं है। इस प्रकार ठेकेदार द्वारा 8038.23 cum के सापेक्ष केवल 79.25 cum का ई-रवन्ना ही प्रस्तुत किया गया। नियमानुसार खण्ड को ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए शेष मात्रा (7958.98 cum) पर रॉयल्टी ₹12**,**25**,**683.00 की कटौती एवं न्यास निधि हेतु रॉयल्टी का 25% अर्थात ₹3**,**06**,**420.00 की कटौती उसके देयकों से किया जाना चाहिए था परंतु खण्ड द्वारा चालू देयकों से रॉयल्टी एवं न्यास निधि हेतु कटौती न कर ठेकेदार को ₹15**,**32**,**103.00 लाख का लाभ पहुचाया गया।

इसी प्रकार राज्य योजना के अंतर्गत रायपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत किरसाली चौक से कालागाँव**,** अस्थल होते हुये रायपुर-कुमाल्डा कद्दूखाल मोटर मार्ग के किमी0 4 मालदेवता तक मोटर मार्ग का पक्कीकरण एवं तीन वर्ष तक रख रखाव के कार्य (अनुबंध संख्या 08/SE-9/2019-20 M/s Himalayan Construction.) से संबन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि ठेकेदार द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चालू देयक में उपयोग किए गए ग्रिट/ पत्थर ₹ **99,792.00** (₹**85154**+ ₹**14638**) के सापेक्ष जो ई-रवन्ना प्रस्तुत किया गया वह ठेकेदार के नाम से नहीं था। नियमानुसार खण्ड को उपरोक्त धनराशि (₹99792/-) की रॉयल्टी तथा 25% न्यास निधि अंशदान की कटौती ₹24948/- की कटौती (जिसके सापेक्ष ठेकेदार के नाम से ई-रवन्ना नहीं पाई गई) उस चालू देयक से किया जाना चाहिए था परंतु खण्ड द्वारा उक्त चालू देयकों से रॉयल्टी की कटौती न कर ठेकेदार को ₹1,24,740/- का अदेय लाभ पहुचाया गया।

इस प्रकार खंड द्वारा उपरोक्त ठेकेदारों के देयकों के सापेक्ष धनराशि `17,10,923/- की रायल्टी एवं `4,27,730/- की न्यास निधि अंशदान की कटौती नहीं की गयी थी जिससे राजस्व की हानि हुयी।

उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अभिलेखों की जाँच कर आवश्यक कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया है। इसके अतिरिक्त ठेकेदार द्वारा तत्संबंधी प्रार्थना पत्र एवं BM/SDBC के कार्य पर क्रेशर से ग्रिट आने के कारण रॉयल्टी की कटौती नहीं की गयी, देयक के अंतिमिकरण करते समय देय रॉयल्टी, यदि कोई हो, का समायोजन कर लिया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार समस्त कटौतियाँ/वसूली किए जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना अपेक्षित है। अतः खंड द्वारा ठेकेदारों के देयकों से प्रयुक्त निर्माण सामग्री के सापेक्ष रॉयल्टी

की धनराशि `17,10,923/- तथा ज़िला खनिज फाउंडेशन न्यास निधि के अंशदान `4,27,730/- की कटौती न किए जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर - 4: ₹18.14 लाख का व्ययाधिक्य/ परिहार्य व्यय ।

शासन द्वारा मार्च 2019 को राज्य योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून के रायपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत किरसाली चौक से कालागाँव, अस्थल होते हुये रायपुर-कुमाल्डा कद्दूखाल मोटर मार्ग के किमी0 4 मालदेवता तक मोटर मार्ग का पक्कीकरण एवं तीन वर्ष तक रख रखाव का कार्य हेतु ₹451.97 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्य अभियन्ता स्तर-I,लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा उतनी ही धनराशि की प्राविधिक स्वीकृति दिनांक 28.05.2019 को प्रदान की गई। कार्य निष्पादन हेतु अधीक्षण अभियंता स्तर से एक अनुबन्ध गठित किया गया जिसका कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य समाप्त करने की तिथि क्रमशः 28.06.2019 एवं 27.06.2020 थी।

कार्य से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि खण्ड द्वारा मार्ग की क्रस्ट डिज़ाइन का निर्धारण CBR value 10 से अधिक एवं msa 10 के आधार पर किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विस्तृत आगणन में किमी0 वार CBR value का result तो संलग्न है परंतु msa calculation हेतु आवश्यक traffic density एवं VDF का विवरण संलग्न नहीं है एवं खण्ड द्वारा जिस msa calculation के अनुसर इस मार्ग का msa 10 निर्धारित किया गया है उस calculation के अनुसार msa 5 निर्धारित होना चाहिए था, जो इस प्रकार है:

$$N = \frac{365x[(1+r)^n-1]}{r} x\ A\ x\ D\ x\ F$$

$$= \frac{365\ x\ [(1+0.075)^{10}-1]}{0.075}\ x\ 295\ x\ 0.75\ x\ 4.5$$

= 5163.68693 x 295 x 0.75 x 4.5 = 5141095

=अर्थात 5.14 msa

उपरोक्त के अनुसार यदि खण्ड द्वारा msa 5 के अनुसार क्रस्ट डिज़ाइन का निर्धारण किया गया होता तो IRC 37 2012 के plate 7 के अनुसार Sub base 150 mm एवं Base 200 mm होना चाहिए था। खण्ड द्वारा उक्त मार्ग का msa 5 के स्थान पर 10 मानकर क्रस्ट निर्धारण किये जाने के कारण Sub base/GSB 150 mm के स्थान पर 200 mm आगणित एवं निष्पादन किया गया जिसके कारण कार्य पर ₹18.14 लाख का व्ययाधिक्य/ परिहार्य व्यय किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :

Expenditure as per estimation/execution			
Item	Quantity	Rate	Amount
GSB	3532.04	2045.00	7223021.80 (A)
As per IRC 37 2012 (Plate 7)			
GSB (3175 x 5.6 x 0.15)-(72 x 5.6 x 0.15) + 5% of × for curves & crossing Where x = 3175 x 5.6 x 0.15	2739.87	2045.00	5603034.15 (B)
Excess expenditure (A-B)			1619987.65
Add: GST @12%			194398.52
Total excess expenditure			**1814386.17**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा msa calculation 9.97 के स्थान पर 5.14 होना स्वीकार करते हुये उत्तर दिया गया कि msa गणना 5 से अधिक निर्धारित होने के कारण IRC कोड के अनुसार ही अगली उच्चता msa 10 ली है, जिसमें GSB 200 mm ही निर्धारित है। तदनुसार ही आगणन में प्रावधानित है जिससे किसी प्रकार का व्ययाधिक नहीं हुआ है।

खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त msa calculation के अनुसार चूंकि msa 5.14 है जो कि msa 5 से केवल 0.14 अधिक एवं msa10 से 4.86 कम है अतः msa 5 के अनुसार क्रस्ट डिज़ाइन का निर्धारण किया जाना चाहिए था।

अतः खण्ड द्वारा msa 5 के स्थान पर msa 10 के अनुसार क्रस्ट डिज़ाइन का निर्धारण किए जाने के कारण इस कार्य पर हुये ₹18.14 लाख का व्ययाधिक्य/ परिहार्य व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 5: कार्य निष्पादन से पूर्व शासन से पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न किया जाना।

शासन द्वारा जुलाई 2017 को राज्य योजना के अंतर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में झबरावाला - बुल्लावाला 6 किमी0 लम्बी मोटर मार्ग पर बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य हेतु ₹ 429.21 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। इसकी प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता स्तर-I,लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा उतनी ही धनराशि की दिनांक 02.06.2018 को प्रदान की गई। कार्य निष्पादन हेतु अधीक्षण अभियंता स्तर से एक अनुबन्ध गठित किया गया जिसका कार्य प्रारम्भ करने एवं कार्य समाप्त करने की तिथि क्रमशः 12.10.2018 एवं 11.04.2020 थी।

कार्य से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि खण्ड द्वारा शासन से स्वीकृति प्राप्त करते समय बी0एम0 मद का आगणन 281.25 घन मी0 के स्थान पर 3843.80 घन मी0 आगणित किया गया एवं विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा भी परीक्षणोपरांत ₹ 429.21 लाख की धनराशि पर अपनी संस्तुति प्रदान की गयी एवं उतनी ही मात्राओ पर खण्ड द्वारा प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की गयी थी। खण्ड द्वारा उसी आगणित मात्रा के साथ ठेकेदार के साथ अनुबन्ध गठित कर सिंगल लेन के कार्य निष्पादन हेतु कार्य प्रारम्भ किया गया। तत्पश्चात खण्ड द्वारा मुख्य अभियन्ता स्तर-I से दिनांक 13.09.2019 को डेढ़ लेन हेतु ₹429.21 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की गयी एवं तदनुसार कार्य निष्पादन किया गया। खण्ड को डेढ़ लेन हेतु कार्य निष्पादन से पूर्व शासन से पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए थी परंतु खण्ड द्वारा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर दिया गया कि माँ0 मुख्यमंत्री जी के विशेष कार्याधिकारी द्वारा भविष्य की संभावनाओं को देखते हुये एवं उक्त मार्ग के दोनों छोर पर दो लेन पुलों की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण, प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 को उक्त मार्ग को सिंगल लेन से डेढ़ लेन मे परिवर्तित करने हेतु निर्देशित किया गया जिसके परिपेक्ष्य में प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। उच्चाधिकारियों के निर्देशों के क्रम में उक्त मार्ग को सिंगल लेन से डेढ़ लेन मे परिवर्तित करने हेतु पुनरीक्षित आगणन गठित कर मुख्य अभियन्ता (स्तर-1) से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की गयी है। खण्ड का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि खण्ड को पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति भी प्राप्त की जानी चाहिए थी।

अतः कार्य निष्पादन से पूर्व शासन से पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग –III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रमांक	**ले प प्र संख्या**	**भाग 2 अ**	**भाग 2 ब**
1.	**174/90-91**	-	1,**3**
2.	**148/92-93**	**-**	**1**
3.	**162/94-95**	**-**	**1,2**
4.	**144/95-96**	**1,2**	**-**
5.	**126/96-97**	**1(a) (b)**	**2**
6.	**35/97-98**	**-**	**1,2,3**
7.	48/1999-2000	1	**2**
8.	115/2000-01	1,**2**	**3**
9.	18/03-04	1 2	1
10.	04/**20**06-07	-	2
11.	27/**20**07-08	**2**	1, 2
12.	**63/2008-09**	-	**03**
13.	**55/2010-11**	1, 2, 3	-
14.	**94/2011-12**	1	1, 2, 3
15.	**59/2013-14**	1	**-**
16.	**07/2014-15**	-	2
17.	55/2015-16	-	1, 3
18.	99/2016-17	-	2
19.	**54/2017-18**	**-**	**1,2,3**
20.	108/2018-19	-	2**,4,5**
21.	**109/2019-20**	**-**	**1,2,3,4**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
			खण्ड द्वारा बताया गया कि उक्त प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्च अधिकारियों के अनुमोदन हेतु प्रेषित है जो अनुमोदन के उपरांत उचित माध्यम से आपके कार्यालय को प्रेषित करने की कार्यवाही की जाएगी। खण्ड द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी ।	

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता,अस्थायी खंड, लोक निर्माण विभाग,ऋषिकेश, जनपद –देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं कियेगयेः -

माप पुस्तिका संख्या: 412/L, 332/L, 434/L, 357/L, 410/L, 365/L एवं 422/L

2. सतत् अनियमितताएः

- शून्य -

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
1. श्री जी एम चौहान	अधिशासी अभियन्ता	31.12.2019 से 07.01.2020 तक।
2. श्री विपुल कुमार सैनी	अधिशासी अभियंता	08.01.2020 से वर्तमान तक

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से सम्बद्ध रहे-

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
श्री पदमेन्द्र सिंह	प्रभागीय लेखाधिकारी– ।	04.08.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता,अस्थायी खंड, लोक निर्माण विभाग,ऋषिकेश, जनपद – देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ एएमजी-II को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (N-PSU)